न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः मोहकम सिंह सिनसिनवार RAS

प्रकरण संख्याः 163/2021

उनवान

रतनजी पिता श्री पुंजा पटेल जाति पटेल निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) श्री हितेश पिता श्री भगवतीलाल शुल्का जाति ब्राम्हण निवासी परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(2) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 02.11.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का परतापुर के मौजा परतापुर की प्रार्थी के स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 453, 458, 459 में स्थित है। प्रार्थी के खेतों में जाने का एकमात्र रास्ता सर्वे नम्बर 463 में से होकर गुजरता है, जो कि प्रार्थी के कृषि भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत का फर्जी पट्टा बनाकर प्रार्थी की भूमि के आगे एकमात्र रास्ते पर अतिक्रमण करते हुए दिवार बनाकर रास्ता बन्द कर दिया गया है। उक्त रास्ता कदीमाना से चला आ रहा है यदि उक्त रास्ता नहीं खोला जाता है तो प्रार्थी अपने खेतो में अपने बैल, ट्रेक्टर इत्यादी नही ले जा पा रहा एवं कृषि नष्ट हो रही हैं। प्रार्थी के खेतों में आने जाने का रास्ता खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त खातें का संधारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपने खेतो में जाने का एकमात्र रास्ता आराजी नम्बर 463 में खोला जा कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र पेश किया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किये गये, समुचित समय उपरान्त भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की आदेश जारी किये गये। प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का अवलोकन करने एवं एक पक्षिय बहस पर मनन करने पर ज्ञात आया कि प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता पुर्व से मोजुद है जिसे अप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध किया गया है जिसे प्रार्थी पुनः खुलवाना चाहता है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A अन्तर्गत खातेदारी जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन विछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना।** उक्त धारा के प्रावधान नवीन मार्ग खोलना अथवा विद्यमान मार्ग के विस्तार के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से दिए गए है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा पूर्व से मौजुद रास्ते पर अतिक्रमण को हटाने अथवा खुलवाना चाहा गया है।

अतः पूर्व से मौजुद रास्ते को खुलवाना एवं उस पर हुए अतिक्रमण को हटाना इस प्रकार के प्रकरण का श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से प्रार्थी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को सुनाया गया।

2/11/2022

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)RAS

उपखण्ड अधिकारी,

गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

02.11.22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में निर्णय पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

2/11/22

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner